पत्र सं.– 2प / आई०टी०–15 / पारिश्रमिक–32 / 2014 / 10 / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

अनुश्रवण पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 30/03/2016

विषय : **ई–पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत PES Applications में डाटा प्रविष्ट करने हेतु सभी जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों में पूर्व में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के बकाया पारिश्रमिक के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में ₹3,20,96,569.00 (तीन करोड़ बीस लाख छियानवें हजार पाँच सौ उनहत्तर रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश : **स्वीकृत।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के निदेश के आलोक में बिहार राज्य अंतर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से ई–पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन किया गया है।

2. ई–पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत Panchayat Enterprises Suite Applications में डाटा प्रविष्टि का कार्य सभी जिला परिषदों एवं पंचायत समिति स्तर पर पूर्व में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के द्वारा किया जा रहा था। डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की सेवा Outsource से बिहार इलेक्टॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बेल्ट्रॉन), बिहार, पटना के माध्यम से प्राप्त की गयी थी।

3. उपर्युक्त डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के पारिश्रमिक का भुगतान बी०आर०जी०एफ० योजनान्तर्गत क्षमतावर्द्धन घटक से किया जा रहा था। वित्तीय वर्ष 2014–15 में बी०आर०जी०एफ० क्षमतावर्द्धन घटक मद में राशि प्राप्त नहीं होने एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में भारत सरकार द्वारा बी०आर०जी०एफ० योजना को सहायता सूची से Delist किये जाने के कारण विभागीय पत्रांक–2प / आई०टी० / डी०पी०एम०यू०–15 / 2014 / 2323 / पं०रा०, दिनांक–17.04.2015 द्वारा डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की सेवा 31 मार्च, 2015 से नहीं लिये जाने का निर्णय लिया गया। चूँकि डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की सेवा 31 मार्च, 2015 से नहीं लिये जाने के निर्णय से संबंधित विभागीय पत्र दिनांक 17.04.2015 को निर्गत हुआ है, अतः इनके मानदेय के बकाया राशि का भुगतान दिनांक 17.04.2015 तक किया जा रहा है।

4. वित्तीय वर्ष 2014–15 में बी०आर०जी०एफ० क्षमतावर्द्धन घटक मद में राशि प्राप्त नहीं होने के कारण कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के पारिश्रमिक राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। अतः दिनांक 17.04.2015 तक कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के पारिश्रमिक राशि का भुगतान हेतु कुल ₹3,20,96,569.00 (तीन करोड़ बीस लाख छियानवें हजार पाँच सौ उनहत्तर रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5 इस राशि का निकासी "योजना मुख्यशीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम- उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0102–जिला पंचायत की स्थापना" के अन्तर्गत '2801–व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ' इकाई से किया जायेगा।

6 इस राशि का विपत्र कोड पी 2515000010102 है।

7 डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु ₹3,20,96,569.00 (तीन करोड बीस लाख छियानवे हजार पाँच सौ उनहत्तर रूपये) मात्र की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष कार्य पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होगे और उक्त राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियमो के आलोक में की जायेगी जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बेल्ट्रॉन), बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

8 प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बेल्ट्रॉन) बिहार, पटना राशि के व्ययोपरांत नियमानुसार व्यय की गई राशि की विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

9 प्रस्ताव मे स्वीकृति प्राधिकार विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या–2प/आई०टी०–15/पारिश्रमिक–32/2014 के पृष्ठ संख्या 90/टि० एवं प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन संचिका पृष्ठ 90/टि० पर प्राप्त है।

10 स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका पृष्ठ 89/टि० पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन

30.3.16

अनुश्रवण पदाधिकारी,

ज्ञापांक 2प/आई०टी०–15/पारिश्रमिक–32/2014/ 10 /प०रा०पटना, दिनांक 30-03-2016

प्रतिलिपि : प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बेल्ट्रॉन) पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.3.16

अनुश्रवण पदाधिकारी,

ज्ञापांक 2प/आई०टी०–15/पारिश्रमिक–32/2014/ 10 /प०रा०पटना, दिनांक 30-03-2016

प्रतिलिपि : विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.3.16

अनुश्रवण पदाधिकारी,

ज्ञापांक 2प/प्रशिक्षण–7–104/2014/ 10 /पं०रा०पटना, दिनांक 30/03/2016

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.3.16

अनुश्रवण पदाधिकारी,

ज्ञापांक : 2प/प्रशिक्षण-7-104/2014/ 10 /पं०रा०पटना, दिनांक 30/03/2016

प्रतिलिपि : विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रशाखा-6 (लेखा शाखा), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.3.16

अनुश्रवण पदाधिकारी,

ज्ञापांक : 2प/प्रशिक्षण-7-104/2014/ 10 /पं०रा०पटना, दिनांक 30/03/2016

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.3.16

अनुश्रवण पदाधिकारी,

ज्ञापांक : 2प/प्रशिक्षण-7-104/2014/ 10 /पं०रा०पटना, दिनांक 30/03/2016

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

30.3.16

अनुश्रवण पदाधिकारी,

ज्ञापांक : 2प/प्रशिक्षण-7-104/2014/ 10 /पं०रा०पटना, दिनांक 30/03/2016

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

30.3.16

अनुश्रवण पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक–6प / प०नि०–05 / 2016......33....... / पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ओम प्रकाश यादव,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक...16.. / ..03.. / 2018

विषयः **जिला पंचायत राज पदाधिकारी गया, मुंगेर, बांका, सीतामढ़ी, सुपौल और पूर्णियाँ के कार्यालयों में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर / कार्यपालक सहायक के पारिश्रमिक / मानेदय भुगतान हेतु कुल ₹2,25,430.00 (दो लाख पच्चीस हजार चार सौ तीस रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

2. राज्य के विभिन्न जिलों में जिला पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालय में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर / कार्यपालक सहायक के पारिश्रमिक / मानेदय भुगतान हेतु निम्नलिखित विवरणी के अनुसार जिला के नाम के सम्मुख राशि स्वीकृत करते हुए कुल ₹2,25,430.00 (दो लाख पच्चीस हजार चार सौ तीस रूपये) मात्र की राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है–

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	स्वीकृत राशि
1	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया	₹68,070.00 (अड़सठ हजार सत्तर रूपये) मात्र।
2	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर	₹90,760.00 (नब्बे हजार सात सौ साठ रूपये) मात्र।
3	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बांका	₹41,720.00 (इक्तालीस हजार सात सौ बीस रूपये) मात्र।
4	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी	₹8,071.00 (आठ हजार इक्हत्तर रूपये) मात्र।
5	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल	₹2,928.00 (दो हजार नौ सौ अट्ठाईस रूपये) मात्र।
6	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णियाँ	₹13,881.00 (तेरह हजार आठ सौ इक्यासी रूपये) मात्र।
कुल		**₹2,25,430.00 (दो लाख पच्चीस हजार चार सौ तीस रूपये) मात्र।**

3. इस स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम अन्तर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम– उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उप शीर्ष–0102–जिला पंचायत की स्थापना" मद के विषय शीर्ष–0102.28.02–संविदा सेवाएँ से वित्तीय वर्ष 2017–18 में की जाएगी। इसकी माँग संख्या–16 एवं विपत्र कोड संख्या–**16-2515000010102** है।

4. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होगें, जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार सहिता 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

लगातार.........

D:\sec 6 Accounts 16-17\Accounts-14 15\ranjit\section-6\Avar sir\Letter docs 282

5. इस राशि का आवंटन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को अलग से भेजा जाएगा, जिसके आधार पर राशि की निकासी की जाएगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि के व्ययोपरान्त नियमानुसार व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र पंचायती राज विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

6. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०–6प०/प०नि०–05/2016 में पृष्ठ सं०–53/टि० पर दिनांक 16.03.2018 को प्राप्त है।

8. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर स्वीकृति प्राधिकार, सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका सं०–6प०/प०नि०–05/2016 में पृष्ठ सं०–53/टि० पर दिनांक 16.03.2018 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(ओम प्रकाश यादव)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6प/प०नि०–05/2016...33.../पं0रा0 पटना, दिनांक 16/03/2018

प्रतिलिपि–जिला पदाधिकारी, गया/मुंगेर/बांका/सीतामढ़ी/सुपौल और पूर्णियाँ को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ओम प्रकाश यादव)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6प/प०नि०–05/2016...33.../पं0रा0 पटना, दिनांक 16/03/2018

प्रतिलिपि–जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया/मुंगेर/बांका/सीतामढ़ी/सुपौल और पूर्णियाँ को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ओम प्रकाश यादव)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6प/प०नि०–05/2016...33.../पं0रा0 पटना, दिनांक 16/03/2018

प्रतिलिपि–जिला कोषागार पदाधिकारी, गया/मुंगेर/बांका/सीतामढ़ी/सुपौल और पूर्णियाँ को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ओम प्रकाश यादव)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6प/प०नि०–05/2016...33.../पं0रा0 पटना, दिनांक 16/03/2018

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी,प्रशाखा–5/ आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग ,बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० मैनेजर को निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत्यादेश की प्रति विभाग के वेबसाईट पर डालेंगे तथा सभी संबंधितों को ई–मेल के माध्यम से सूचित करेंगे।

(ओम प्रकाश यादव)
संयुक्त सचिव

पत्रांक–3प/मु०म०नि०यो०–19–02/2017..23(स्वी०)..../पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

हरेन्द्र नाथ दूबे
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक..13../..12../2018

विषयः **बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के पैनल से प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालय हेतु अनुबंध/संविदा के आधार पर कार्यरत प्रखंड कार्यपालक सहायक के पारिश्रमिक/मानदेय भुगतान हेतु कुल ₹ 4,48,56000=00 (चार करोड़ अड़तालीस लाख छप्पन हजार रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति।**

प्रसंगः– **विभागीय पत्रांक–3302 दिनांक–14.06.2018।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

2. मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना हेतु विभिन्न कार्यालयों में अनुबंध/संविदा के आधार पर प्रखंड स्तरीय कार्यपालक सहायक के पारिश्रमिक/मानदेय भुगतान हेतु संलग्न विवरणी अनुलग्नक 'क' के अनुसार राशि स्वीकृत करते हुए कुल ₹ 4,48,56000=00 (चार करोड़ अड़तालीस लाख छप्पन हजार रूपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2018–19 में व्यय किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है–

3. इस स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम अन्तर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम– उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उप शीर्ष–0102–जिला पंचायत की स्थापना" मद के "विषय शीर्ष–0102.28.02–संविदा सेवाएँ" से वित्तीय वर्ष 2018–19 में की जाएगी। इसकी माँग संख्या–16 एवं विपत्र कोड संख्या– 16–2515000010102 है।

4. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार होगें, जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार, से बिहार कोषागार सहिता 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

5. इस राशि का आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जाएगा जिसके आधार पर राशि की निकासी की जाएगी।

6. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृष्ठ सं०–88/टि० पर दिनांक–28.11.2018 को प्राप्त है।

8. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर स्वीकृति प्राधिकार, प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन पृष्ठ सं०–88/टि० पर दिनांक–28.11.2018को प्राप्त है।

अनुलग्नक–यथोक्त

विश्वासभाजन

13/12

(हरेन्द्र नाथ दूबे)
संयुक्त सचिव

\\10.79.225.71\PRD_COMPS_CommonLocation\RANJAY\vipatra bill.docx

ज्ञापांक–3प/मु०म०नि०यो०–19–02/2017 23(सी०)/पं०रा० पटना, दिनांक 13/12/2018

प्रतिलिपि–सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(हरेन्द्र नाथ दूबे)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–3प/मु०म०नि०यो०–19–02/2017 23(सी०)/पं०रा० पटना, दिनांक 13/12/2018

प्रतिलिपि–सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(हरेन्द्र नाथ दूबे)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–3प/मु०म०नि०यो०–19–02/2017 23(सी०)/पं०रा० पटना, दिनांक 13/12/2018

प्रतिलिपि–सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(हरेन्द्र नाथ दूबे)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–3प/मु०म०नि०यो०–19–02/2017 23(सी०)/पं०रा० पटना, दिनांक 13/12/2018

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी,प्रशाखा–5/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग ,बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० मैनेजर को निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत्यादेश की प्रति विभाग के वेबसाईट पर डालेंगे तथा सभी संबंधितों को ई–मेल के माध्यम से सूचित करेंगे।

(हरेन्द्र नाथ दूबे)
संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–'क'

पंचायती राज विभाग अंतर्गत प्रखंड स्तर पर कार्यपालक सहायक की लिए गए सेवा के लिए जिला वार/प्रखंड वार अनुमान्य पदों के विरूद्ध रूपया 12,000/–(बारह हजार रूपया मात्र) की दर से प्रति कार्यपालक सहायक को प्रतिमाह भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए कुल अनुमानित राशि की समेकित विवरणीः–(अगस्त 2018 से फरवरी 2019 तक के लिए)

क्रं	जिला	प्रखंड की संख्या	प्रखंड स्तरीय कार्यपालक सहायक की संख्या	12000/प्रति कार्यपालक सहायक की दर से कुल 07 (सात) माह का अनुमान्य भुगतेय राशि (कॉलम–4*12000*7)
1	2	3	4	5
1	Araria	9	9	756000.00
2	Arwal	5	5	420000.00
3	Aurangabad	11	11	924000.00
4	Banka	11	11	924000.00
5	Begusarai	18	18	1512000.00
6	Bhagalpur	16	16	1344000.00
7	Bhojpur	14	14	1176000.00
8	Buxar	11	11	924000.00
9	Darbhanga	18	18	1512000.00
10	E . Champaran	27	27	2268000.00
11	Gaya	24	24	2016000.00
12	Gopalganj	14	14	1176000.00
13	Jamui	10	10	840000.00
14	Jehanabad	7	7	588000.00
15	Kaimur	11	11	924000.00
16	Katihar	16	16	1344000.00
17	Khargaria	7	7	588000.00
18	Kishanganj	7	7	588000.00
19	Lakhisarai	7	7	588000.00
20	Madhepura	13	13	1092000.00
21	Madhubani	21	21	1764000.00
22	Munger	9	9	756000.00
23	Muzzafarpur	16	16	1344000.00
24	Nalanda	20	20	1680000.00
25	Nawada	14	14	1176000.00
26	Patna	23	23	1932000.00
27	Purnia	14	14	1176000.00
28	Rohtas	19	19	1596000.00
29	Saharsa	10	10	840000.00
30	Samastipur	20	20	1680000.00
31	Saran	20	20	1680000.00
32	Sheikhpura	6	6	504000.00
33	Sheohar	5	5	420000.00
34	Sitamarhi	17	17	1428000.00
35	Siwan	19	19	1596000.00
36	Supaul	11	11	924000.00
37	Vaishali	16	16	1344000.00
38	W. Champaran	18	18	1512000.00
Total :-		**534**	**534**	**44856000.00**

13/12

पत्रांकः 5प / राज्य स्कीम–02–11 / 2017 / 70(आ०) / पं०रा०
बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी ज़िला पंचायत राज पदाधिकारी
(अररिया, जमुई, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, नालंदा, पूर्णियाँ, रोहतास, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान एवं वैशाली को छोड़कर)

पटना, दिनांक 03 / 03 / 2020

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश 31(स्वी०) दिनांक 19.02.2020 द्वारा स्वीकृत कुल ₹22,83,011.00 (बाईस लाख तेरासी हजार ग्यारह रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 31(स्वी०) दिनांक 19.02.2020 द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालय में अनुबंध / संविदा पर कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर / कार्यपालक सहायकों के पारिश्रमिक / मानदेय भुगतान हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के परिपत्र द्वारा स्वीकृत वर्द्धित दर के अनुरूप निर्गत विभागीय परिपत्र के आलोक में अनुमान्य अंतर राशि कुल ₹22,83,011.00 (बाईस लाख तेरासी हजार ग्यारह रूपये) मात्र की राशि को निम्नलिखित विवरणी के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है:–

क्र	कार्यालय का नाम	स्वीकृत राशि
1	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल।	₹71,324.00 (इकहत्तर हजार तीन सौ चौबीस रूपये मात्र)।
2	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, औरंगाबाद।	₹77,831.00 (सतहत्तर हजार आठ सौ इक्कतीस रूपये मात्र)।
3	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बाँका।	₹74,810.00 (चौहत्तर हजार आठ सौ दस रूपये मात्र)।
4	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर।	₹73,350.00 (तिहत्तर हजार तीन सौ पचास रूपये मात्र)।
5	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर।	₹59,498.00 (उनसठ हजार चार सौ अन्ठानवे रूपये मात्र)।
6	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।	₹1,54,231.00 (एक लाख चौवन हजार दो सौ इक्कतीस रूपये मात्र)।
7	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज।	₹60,827.00 (साठ हजार आठ सौ सत्ताइस रूपये मात्र)।
8	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद।	₹94,719.00 (चौरानवे हजार सात सौ उन्नीस रूपये मात्र)।
9	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमूर।	₹87,830.00 (सतासी हजार आठ सौ तीस रूपये मात्र)।
10	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार।	₹70,000.00 (सत्तर हजार रूपये मात्र)।
11	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया।	₹43,984.00 (तैतालीस हजार नौ सौ चौरासी रूपये मात्र)।
12	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर।	₹1,66,705.00 (एक लाख छयासठ हजार सात सौ पाँच रूपये मात्र)।
13	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।	₹84,215.00 (चौरासी हजार दो सौ पन्द्रह रूपये मात्र)।
14	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा।	₹2,25,000.00 (दो लाख पचीस हजार रूपये मात्र)।
15	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना।	₹4,692.00 (चार हजार छः सौ बेरानवे रूपये मात्र)।
16	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर।	₹1,55,418.00 (एक लाख पचपन हजार चार सौ अठारह रूपये मात्र)।
17	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण।	₹1,47,485.00 (एक लाख सैतालीस हजार चार सौ पचासी रूपये मात्र)।
18	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा।	₹69,719.00 (उनहत्तर हजार सात सौ उन्नीस रूपये मात्र)।
19	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल।	₹22,537.00 (बाईस हजार पाँच सौ सैतीस रूपये मात्र)।
20	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण।	₹2,00,000.00 (दो लाख रूपये मात्र)।
21	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बेगूसराय।	₹50,000.00 (पचास हजार रूपये मात्र)
22	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर।	₹85,527.00 (पचासी हजार पाँच सौ सत्ताईस रूपये मात्र)
23	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा।	₹51,523.00 (इक्यावन हजार पाँच सौ तेईस रूपये मात्र)
24	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा।	₹1,51,786.00 (एक लाख इक्यावन हजार सात सौ छियासी रूपये मात्र)।
कुलः–		₹22,83,011.00 (बाईस लाख तेरासी हजार ग्यारह रूपये) मात्र

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\State Scheme\P 2515000010102\Letter.docx

लगातार......

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में उपर्युक्त विवरणी के अनुरूप **कुल ₹22,83,011.00 (बाईस लाख तेरासी हजार ग्यारह रूपये)** मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2019–20 में आवंटित की जाती है।

3. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **संबंधित जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी** होगें, जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी **वित्तीय वर्ष 2019–20** में **मांग संख्या–16** के राज्य स्कीम अंतर्गत **"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00– लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0102–जिला पंचायत की स्थापना"** मद के विषय शीर्ष '0102.28.02–संविदा सेवाएँ' इकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड **16–2515000010102** है।

5. **सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड 16–2515000010102) को यथाशीघ्र Map/Tag कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।**

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि०17 अप्रैल 1998,256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019,6786 दिनांक 19.08.2019 एवं 885 दिनांक 03.02.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,
03/03/2020
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/70(आ0)/पं०रा० पटना, दिनांक 03/03/2020

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, अररिया, जमुई, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, नालंदा, पूर्णियाँ, रोहतास, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान एवं वैशाली को छोड़कर/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-03 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

03/03/2020
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/70(आ0)/पं०रा० पटना, दिनांक 03/03/2020

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

03/03/2020
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\...\Letter.docx

8.14

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–13/2017/39(आ0)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार (कटिहार को छोड़कर)।

पटना दिनांक: 22/9/2020

विषयः **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 21(स्वी०) दिनांक 17.09.2020 द्वारा तकनीकी सहायकों एवं लेखापाल–सह–आई०टी० सहायकों के मानदेय के भुगतान हेतु स्वीकृत कुल ₹57,32,75,000.00 (सतावन करोड़ बत्तीस लाख पिचहत्तर हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प–4046 दिनांक 25.07. 2018 के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 21(स्वी०) दिनांक 17.09.2020 द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु जिलों के संविदा/मानदेय के आधार पर नियोजित तकनीकी सहायकों के सात माह के मानदेय का भुगतान हेतु संलग्न अनुलग्नक– 'क' के अनुरूप **₹25,98,75,000.00 (पचीस करोड़ अठानवें लाख पिचहत्तर हजार रूपये)** मात्र तथा लेखापाल–सह–आई०टी० सहायकों के दस माह के मानदेय का के भुगतान हेतु संलग्न अनुलग्नक– 'ख' के अनुरूप **₹31,34,00,000.00 (इक्कतीस करोड़ चौतीस लाख रूपये)** मात्र अर्थात **कुल ₹57,32,75,000.00 (सतावन करोड़ बत्तीस लाख पिचहत्तर हजार रूपये) मात्र की राशि** की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020–21 में तकनीकी सहायकों तथा लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक के मानदेय के भुगतान हेतु **कुल ₹57,32,75,000.00 (सतावन करोड़ बत्तीस लाख पिचहत्तर हजार रूपये)** मात्र की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:–

क्र०	जिला का नाम	तकनीकी सहायकों के सात माह के मानदेय का भुगतान हेतु आवंटित राशि	लेखापाल–सह–आई०टी० सहायकों के दस माह के मानदेय का भुगतान हेतु आवंटित राशि	कुल आवंटन (3+4)
1	2	3	4	5
1	Araria	8694000.00	10800000.00	**19494000.00**
2	Arwal	2457000.00	3000000.00	**5457000.00**
3	Aurangabad	6993000.00	9800000.00	**16793000.00**
4	Banka	5670000.00	9000000.00	**14670000.00**
5	Begusarai	9450000.00	10800000.00	**20250000.00**
6	Bhagalpur	10584000.00	10800000.00	**21384000.00**
7	Bhojpur	8883000.00	9600000.00	**18483000.00**
8	Buxar	5670000.00	6200000.00	**11870000.00**
9	Darbhanga	14175000.00	16200000.00	**30375000.00**

10	Gaya	10395000.00	14000000.00	**24395000.00**
11	Gopalganj	3591000.00	3600000.00	**7191000.00**
12	Jamui	5670000.00	6200000.00	**11870000.00**
13	Jehanabad	1512000.00	4000000.00	**5512000.00**
14	Kaimur	4725000.00	6400000.00	**11125000.00**
15	Khagaria	5859000.00	5000000.00	**10859000.00**
16	Kishanganj	5859000.00	6200000.00	**12059000.00**
17	Lakhisarai	2079000.00	3600000.00	**5679000.00**
18	Madhepura	6804000.00	5600000.00	**12404000.00**
19	Madhubani	13608000.00	14000000.00	**27608000.00**
20	Munger	3213000.00	4000000.00	**7213000.00**
21	Muzaffarpur	7749000.00	14800000.00	**22549000.00**
22	Nalanda	8505000.00	10800000.00	**19305000.00**
23	Nawada	6993000.00	5400000.00	**12393000.00**
24	W. Champaran	9450000.00	11600000.00	**21050000.00**
25	Patna	9072000.00	13400000.00	**22472000.00**
26	E. Champaran	12474000.00	14400000.00	**26874000.00**
27	Purnea	6993000.00	9400000.00	**16393000.00**
28	Rohtas	8316000.00	11000000.00	**19316000.00**
29	Saharsa	1512000.00	4800000.00	**6312000.00**
30	Samastipur	10017000.00	11200000.00	**21217000.00**
31	Saran	10584000.00	9400000.00	**19984000.00**
32	Shekhpura	1323000.00	2400000.00	**3723000.00**
33	Sheohar	2268000.00	2200000.00	**4468000.00**
34	Sitahmarhi	9828000.00	10600000.00	**20428000.00**
35	Siwan	9828000.00	13200000.00	**23028000.00**
36	Supaul	5292000.00	4600000.00	**9892000.00**
37	Vaishali	3780000.00	5400000.00	**9180000.00**
	Total :-	**259875000.00**	**313400000.00**	**573275000.00**

3. इस आवंटित राशि की निकासी "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0113–मुख्यमंत्री निश्चय योजना" के "विषय शीर्ष–0113.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण" से वित्तीय वर्ष 2020–21 में की जायेगी। इसकी माँग संख्या–16 एवं विपत्र कोड 16-2515001980113 है।

4. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी

विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम-02-13/2017 के पृष्ठ संख्या 96.../प० पर दिनांक 21/9/20 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम-02--13/2017/39(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 22/9/2020

प्रतिलिपिः महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रशाखा-03, 06(लेखा) एवं 05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम-02-13/2017/39(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 22/9/2020

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प / राज्य स्कीम-02-03 / 2020 / 418(प्रा०) / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

अवर सचिव-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 23/11/2020

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 22(स्वी०) दिनांक 18.09.2020 द्वारा 1050 लेखापाल-सह-आई०टी० सहायकों को एक-एक लैपटॉप उपलब्ध कराये जाने हेतु स्वीकृत कुल ₹6,84,52,743.00 (छह करोड़ चौरासी लाख बावन हजार सात सौ तैंतालीस रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश 22(स्वी०) दिनांक 18.09.2020 द्वारा क्रियाशील पंचायत सरकार भवनों में ग्राम पंचायतों के ई-सशक्तीकरण को बढ़ावा देने तथा आवश्यकतानुसार Common Service Centre/RTPS Center में सहयोग हेतु राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (2020-21) के तहत 1050 लेखापाल-सह-आई०टी० सहायकों को एक-एक लैपटॉप उपलब्ध कराये जाने हेतु कुल ₹6,84,52,743.00 (छह करोड़ चौरासी लाख बावन हजार सात सौ तैंतालीस रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदान की गई है।

2. **उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में कुल ₹6,84,52,743.00 (छह करोड़ चौरासी लाख बावन हजार सात सौ तैंतालीस रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2020-21 मे मांग संख्या-16 से निम्नरूपेण की जायेगी:-

क्र०	योजना शीर्ष	राशि (रूपये में)
1	"मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0215-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)"। विपत्र कोड 16-2515001980215 विषय शीर्ष 0215.31.06-गैर वेतन।	42500000.00
2	"मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0315-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)"। विपत्र कोड-16-2515001980315 विषय शीर्ष 0315.31.06-गैर वेतन।।	25952743.00
कुलः	**(छह करोड़ चौरासी लाख बावन हजार सात सौ तैंतालीस रूपये) मात्र**	**68452743.0**

4. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होगें, जो राशि की निकासी CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान से संबंधित विभागीय खाता संख्या--37804658816, IFSC-SBIN0006379 (भारतीय स्टेट बैंक, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना--15) में करेगें एवं इस राशि को Bihar State Electronic Development Corporation Limited, Patna के संबंधित बैंक खाता में PFMS के माध्यम से अंतरित करेगें।

5. विभागीय स्वीकृत्यादेश 22(स्वी०) दिनांक 18.09.2020 में निहित अनुदेश के आलोक में बेल्ट्रॉन से क्रय किये गये लैपटॉप को लेखाशाखा द्वारा संबंधित जिलों के जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी को उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न अनुलग्नक –'क' के अनुसार हस्तगत कराया जायेगा।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8 इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020 के पृष्ठ संख्या 10/टि० पर दिनांक 21/11/20 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020/4850 पं०रा० पटना, दिनांक 23/11/2020
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–02, 06(लेखा) एवं 05 (उपयोगिता

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2020-21\State Scheme\RGSA\Letter 2020-21.docx

प्रमाण पत्र कोषांग) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020/ 4810 /पं०रा० पटना, दिनांक 23/11/2020

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी